

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8 (क)(वि.स.)(17)डीएलबी / 19/22275

दिनांक: 21/11/19

आदेश

राज्य सरकार के निर्देशानुसार नगर निगम कोटा में पैरवी की स्थायी व्यवस्था हेतु निम्नांकित अधिवक्ताओं को नियमानुसार देय पारिश्रमिक भुगतान पर पैनल अधिवक्ता/विधि सलाहकार लगाया जाता है:-

क्रं.स.	अधिवक्ता का नाम	नगर निगम	मोबाईल नं.
1.	श्री सतीश शर्मा पुत्र श्रीराम शर्मा	नगर निगम कोटा	9414252194
2.	श्री वीरेन्द्र कुमार सक्सेना	नगर निगम कोटा	9413990672
3.	श्रीमती शर्मिला जैन	नगर निगम कोटा	9214366771
4.	श्री नन्द सिंह हाड़ा	नगर निगम कोटा	9414286679
5.	श्री मोहम्मद अशफाक अंसारी	नगर निगम कोटा	8233400475
6.	श्री उल्लास शर्मा	नगर निगम कोटा	9413201428
7.	श्री उत्पल शर्मा	नगर निगम कोटा	9252604831
8.	सरला शर्मा	नगर निगम कोटा	9352203646
9.	श्री नरेन्द्र कुमार नागर	नगर निगम कोटा	9829078314
10.	श्री अब्दुल रशीद (अब्दुला)	नगर निगम कोटा	9828213834
11.	श्री अनमोल बैरवा	नगर निगम कोटा	9929341812
12.	श्री उमाकान्त वर्मा	नगर निगम कोटा	9351224916

इनको विभागीय आदेश क्रमांक 14702 दिनांक 18.09.2000 के तहत मासिक मानेदय एवं आदेश क्रमांक 3465 दिनांक 02.07.13 तथा परिपत्र क्रमांक 1747-1937 दिनांक 04.03.14 के अनुसार पारिश्रमिक भुगतान संबंधित नगरीय निकाय से देय होगा।

(डॉ० प्रवीण कुमार)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक: 21/11/19

क्रमांक: प.8 (क)(वि.स.)(17)डीएलबी / 19/22276 - 95

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
04. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग कोटा।
05. महापौर/आयुक्त, नगर निगम कोटा।
06. श्री एडवोकेट मार्फत, नगर निगम कोटा।
07. प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
08. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

1895